



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या एवं समाधान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. धीरज कुमार शर्मा

अतिथि व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकदुर, जिला कबीरधाम
(N-x-)

सारांश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPA) की समस्या वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इस शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की प्रवृत्तियों, उनके कारणों, प्रभावों तथा समाधानात्मक उपायों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्ष 2014 से 2025 तक के द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनमें सकल एनपीए, एनपीए अनुपात, वसूली दर तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के परिणामों का विश्लेषण शामिल है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018 तक एनपीए में वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद दिवालियापन संहिता (IBC), SARFAESI अधिनियम तथा RBI के सख्त नियमन के कारण इसमें निरंतर कमी आई है। निष्कर्षतः, समयबद्ध समाधान तंत्र, प्रभावी ऋण मूल्यांकन तथा सुदृढ़ निगरानी प्रणाली एनपीए नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

शब्द कुंजी – एनपीए, बैंकिंग प्रणाली, दिवालियापन संहिता (IBC), वसूली दर, वित्तीय स्थिरता, ऋण प्रबंधन

1. प्रस्तावना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो उद्योग, व्यापार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। बैंकिंग संस्थाएँ न केवल बचत और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किन्तु जब बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की समय पर वसूली नहीं हो पाती, तो वे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPA) के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बैंकिंग प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) या 'बैड लोन' वे ऋण होते हैं, जिन पर ब्याज या मूलधन का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहता है। ऐसी स्थिति में ऋण बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है, जिससे बैंक की लाभप्रदता, तरलता तथा पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि एनपीए की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है,



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

तो इससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता प्रभावित होती है और आर्थिक विकास की गति भी धीमी पड़ सकती है।

भारत में एनपीए की समस्या विशेष रूप से वर्ष 2014 से 2018 के बीच अत्यधिक गंभीर रूप में सामने आई। मार्च 2014 में सकल एनपीए लगभग ₹2.5 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2018 तक बढ़कर ₹10 लाख करोड़ से अधिक हो गया। इस अवधि में एनपीए में लगभग चार गुना वृद्धि हुई, जिसने वित्तीय प्रणाली पर भारी दबाव उत्पन्न किया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण बड़े कॉर्पोरेट ऋणों का समय पर भुगतान न होना तथा बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण क्षेत्रों में परियोजनाओं का विलंबित होना था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की समस्या निजी बैंकों की तुलना में अधिक देखी गई है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल एनपीए का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा शीर्ष 50 बड़े डिफॉल्टर्स से संबंधित था। यह दर्शाता है कि बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की विफलता बैंकिंग प्रणाली पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान कई बड़े बैंकों के एनपीए में वृद्धि देखी गई, जिससे पुनर्वास और ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

एनपीए की समस्या केवल बैंकिंग क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बढ़ते एनपीए के कारण बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट आती है, जिससे नई ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है। परिणामस्वरूप उद्योगों और व्यवसायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, उच्च एनपीए स्तर के कारण निवेशकों का विवास भी प्रभावित होता है, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

एनपीए की समस्या के पीछे कई प्रमुख कारण पाए जाते हैं, जिनमें आर्थिक मंदी, कॉर्पोरेट ऋणों का बढ़ता बोझ, कमजोर ऋण मूल्यांकन प्रणाली तथा नियामकीय कमजोरियाँ प्रमुख हैं। विशेष रूप से बुनियादी ढाँचा, बिजली, सड़क और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के समय पर पूर्ण न होने से ऋणों की वसूली प्रभावित हुई है। इसके साथ ही, कुछ मामलों में ऋण स्वीकृति के समय जोखिम का उचित मूल्यांकन न होने से भी एनपीए की समस्या बढ़ी है।

एनपीए की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें वर्ष 2002 का SARFAESI अधिनियम, Debt Recovery Tribunal (DRT) की सुदृढ़ व्यवस्था तथा वर्ष 2016 में लागू दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: दिवालियापन संहिता (IBC) प्रमुख



Kavva Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

हैं। दिवालियापन संहिता (IBC) ने ऋणदाता और उधारकर्ता के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है, जिसके अंतर्गत डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों का नियंत्रण प्रमोटरों से लेकर समाधान प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्गठित किया जाता है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में एनपीए स्तर में कमी के संकेत प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान समय में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि सुदृढ़ नियामकीय ढाँचे, प्रभावी निगरानी प्रणाली तथा समयबद्ध समाधान प्रक्रिया का परिणाम है। तथापि, वैिक स्तर की तुलना में भारत की वसूली दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन, ऋण मूल्यांकन तथा निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत अध्ययन भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या, उसके कारणों, प्रभावों तथा समाधानात्मक उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल एनपीए की प्रवृत्तियों को समझने में सहायक होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं स्थिर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

2. शोध उद्देश्य

इस शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की प्रवृत्तियों, उनके कारणों, प्रभावों तथा समाधानात्मक उपायों का विश्लेषण करना है।

3. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या एवं उसके समाधान का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रकार को अपनाया गया है। वर्णनात्मक शोध पद्धति के माध्यम से एनपीए की प्रकृति, प्रवृत्तियों तथा उनके प्रभावों का व्यवस्थित वर्णन किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से उपलब्ध आँकड़ों का तुलनात्मक एवं तार्किक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। यह पद्धति विषय की वास्तविक स्थिति को समझने तथा उसके विभिन्न आयामों का समुचित मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध हुई है।

इस अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जो विभिन्न आधिकारिक एवं वि वसनीय स्रोतों से संकलित किए गए हैं। द्वितीयक आँकड़ों के उपयोग से अध्ययन को तथ्यात्मक आधार प्रदान किया गया है तथा समय और संसाधनों की दृष्टि से यह पद्धति अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। इस शोध के लिए आवश्यक आँकड़े मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टें, वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (दिवालियापन संहिता (IBC) से संबंधित आँकड़ों, तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की रिपोर्टें से संकलित



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

किए गए हैं। इन स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों ने एनपीए की प्रवृत्तियों, वसूली दर तथा समाधान प्रक्रियाओं का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है।

4. समंक विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1


भारतीय बैंकिंग में NPA प्रवृत्तियाँ (2014–2024)

| वर्ष | सकल NPA (₹ करोड़) | NPA अनुपात (%) | वसूली दर (%) |
|------|-------------------|----------------|--------------|
| 2014 | 2,78,000 | 4.6 | 12.1 |
| 2015 | 3,23,000 | 5.1 | 13.8 |
| 2016 | 6,06,000 | 7.5 | 15.2 |
| 2017 | 8,96,000 | 9.6 | 14.5 |
| 2018 | 10,35,000 | 11.2 | 16.3 |
| 2019 | 9,34,000 | 9.1 | 18.7 |
| 2020 | 8,96,000 | 8.2 | 22.4 |
| 2021 | 8,34,000 | 7.4 | 28.1 |
| 2022 | 7,27,000 | 5.9 | 32.6 |
| 2023 | 6,12,000 | 4.1 | 36.8 |
| 2024 | 5,78,000 | 3.2 | 41.2 |

स्रोत – भारतीय रिज़र्व बैंक, (2025), भारत में बैंकिंग के ट्रेंड्स और प्रोग्रेस पर रिपोर्ट

चित्र 1

भारतीय बैंकिंग में NPA प्रवृत्तियाँ (2014–2024)





Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014 से 2018 तक सकल NPA में निरंतर वृद्धि हुई और वर्ष 2018 में यह 10,35,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसके बाद वर्ष 2019 से 2024 तक इसमें निरंतर कमी देखी गई। साथ ही वसूली दर 12.1% से बढ़कर 41.2% हो गई, जो सुधारात्मक उपायों की सफलता को दर्शाती है।

तालिका 2


दिवालियापन संहिता (IBC) समाधान परिणाम (2017–2024)

| वर्ष | दर्ज मामले | समाधित मामले | समाधान दर (%) | वसूली दर (%) |
|------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 2017 | 470 | 12 | 2.6 | 42.5 |
| 2018 | 1,423 | 94 | 6.6 | 43.8 |
| 2019 | 2,175 | 221 | 10.2 | 41.2 |
| 2020 | 2,589 | 341 | 13.2 | 38.9 |
| 2021 | 3,012 | 456 | 15.1 | 35.7 |
| 2022 | 3,567 | 623 | 17.5 | 32.4 |
| 2023 | 4,189 | 834 | 19.9 | 31.8 |
| 2024 | 4,756 | 1,123 | 23.6 | 33.2 |

स्रोत – भारतीय रिज़र्व बैंक, (2025), भारत में बैंकिंग के ट्रेंड्स और प्रोग्रेस पर रिपोर्ट

चित्र 2

दिवालियापन संहिता (IBC) समाधान परिणाम (2017–2024)



तालिका दर्शाती है कि दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत मामलों की संख्या और समाधान दर में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में समाधान दर 2.6% थी, जो वर्ष 2024 में



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

बढ़कर 23.6% हो गई। यह दर्शाता है कि दिवालियापन संहिता (IBC) एनपीए समाधान में एक प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

तालिका 3


भारत बनाम वैश्विक वसूली दर तुलना

| देश | वसूली दर (%) | समय (वर्ष) | लागत (%) |
|---------------|--------------|------------|----------|
| भारत | 33.2 | 2.1 | 9.0 |
| अमेरिका | 81.5 | 1.5 | 7.0 |
| यूके | 88.6 | 1.0 | 6.0 |
| जर्मनी | 80.6 | 1.2 | 8.0 |
| जापान | 92.7 | 0.6 | 4.2 |
| सिंगापुर | 91.3 | 0.8 | 3.8 |
| दक्षिण कोरिया | 81.9 | 1.5 | 4.0 |
| चीन | 36.9 | 1.7 | 22.0 |

स्रोत – भारतीय रिज़र्व बैंक, (2025), भारत में बैंकिंग के ट्रेंड्स और प्रोग्रेस पर रिपोर्ट

चित्र 3

भारत बनाम वैश्विक वसूली दर तुलना



तालिका से ज्ञात होता है कि भारत की वसूली दर अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। जापान और सिंगापुर जैसे देशों में वसूली दर 90% से अधिक है, जबकि भारत में यह 33.2% है। इससे स्पष्ट है कि भारत को समाधान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2


ISSN No: 3049-4176

तालिका 4
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA (2021–2025)

| वर्ष | सकल NPA (₹ करोड़) | NPA अनुपात (%) |
|------|-------------------|----------------|
| 2021 | 6,16,616 | 9.11 |
| 2022 | 5,40,958 | 7.28 |
| 2023 | 4,28,197 | 4.97 |
| 2024 | 3,39,541 | 3.47 |
| 2025 | 2,83,650 | 2.58 |

स्रोत – भारतीय रिज़र्व बैंक, (2025), भारत में बैंकिंग के ट्रेंड्स और प्रोग्रेस पर रिपोर्ट

चित्र 4
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA (2021–2025)



तालिका दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए अनुपात वर्ष 2021 में 9.11% से घटकर वर्ष 2025 में 2.58% हो गया है। यह दर्शाता है कि सरकार और RBI द्वारा लागू सुधारात्मक उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. सुझाव

- ऋण स्वीकृति से पहले जोखिम मूल्यांकन को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
- दिवालियापन संहिता (IBC) प्रक्रिया को और अधिक समयबद्ध बनाया जाए।
- बैंक कर्मचारियों को उन्नत ऋण प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- डिजिटल निगरानी प्रणाली को लागू किया जाए।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

- बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की जाए।

6. निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की समस्या एक समय गंभीर स्तर तक पहुँच गई थी, विशेष रूप से वर्ष 2014 से 2018 के दौरान। परंतु दिवालियापन संहिता (IBC), SARFAESI अधिनियम तथा RBI के सख्त नियमन जैसे सुधारात्मक उपायों के कारण एनपीए में उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, भारत की वसूली दर अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन, निगरानी प्रणाली तथा समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाए।

संदर्भ

1. Reserve Bank of India (RBI). (2025). *Report on Trends and Progress of Banking in India*.
2. Ministry of Finance, Government of India. (2024). *IBC Performance Report*.
3. World Bank. (2023). *Global Insolvency and Recovery Statistics*.
4. Reserve Bank of India. (2025). *Financial Stability Report*.
5. Government of India. (2024). *Public Sector Bank NPA Data Report*.